



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36032

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 635 वर्ष 2026

अविरल

.....याची

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: शिव सागर सिंह
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: ए.एस.जी.आई., पियूष त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सागर सिंह तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पियूष त्रिपाठी को सुना गया।
2. प्रारम्भिक आपति के रूप में रिट याचिका की ग्राह्यता पर यह कहते हुए आपति उठाई गई है कि याची के पास एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत वह प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19(V) के अधीन मूल आवेदन प्रस्तुत कर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष जा सकता है, क्योंकि याची का अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी दावा अस्वीकृत किया जा चुका है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त विधिक स्थिति का खण्डन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, यह रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** की जाती है कि याची, क्षेत्राधिकार संपन्न केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष, मूल आवेदन प्रस्तुत करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय 1125** के आलोक में, विधि के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”